

प्रेस नोट थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 11.04.2024

01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष कैम्पियरगंज के नेतृत्व में उ0नि0 राकेश कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त आदित्य उर्फ सचिन यादव पुत्र स्व0 पलपल उर्फ बैजनाथ यादव निवासी ग्राम डुमरिया थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारसूत के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 166/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता व आपराधिक इतिहास-

आदित्य उर्फ सचिन यादव पुत्र स्व0 पलपल उर्फ बैजनाथ यादव निवासी ग्राम डुमरिया थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 166/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर

मु0अ0सं0 85/2024 धारा 341,323,504,506 भादवि थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर

मु0अ0सं0 703/2023 धारा 323,504,506 भादवि थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारसूत

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 राकेश कुमार सिंह थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
2. का0 निलेश कुमार यादव थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
3. का0 दयाशंकर पटेल थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
4. का0 सुर्यकान्त यादव थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर